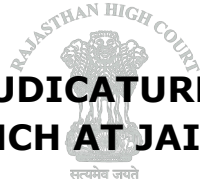


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 789/2025

Chandu @ Dinesh S/o Ramphool, Aged About 20 Years, R/o Ahmadpura Nayagaanv Police Station Mehandwas District Tonk  
Presently Confined In District Jail Tonk

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Rameksh S/o Sosar Lal Meena, Aged About 22 Years, R.o Khohalya Police Station Banetha District Tonk

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 788/2025

Bhagchand S/o Kailash, Aged About 28 Years, Ro Maliyon Ka Pass Panchkuliya Darwaja Purrani Tonk District Tonk (Presently Confined In Central Jail Tonk)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor
2. Ramkesh S/o Sosar Lal Meena, Aged About 22 Years, R/o Khohalya Uniara Baneth Tonk (Raj)

----Respondents

---

|                   |   |                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| For Appellant(s)  | : | Mr. Ajatshatru Mina, Adv.<br>Mr. Aman Ali, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Rishiraj Singh Rathore, PP                  |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**07/04/2025**

अपीलार्थी—अभियुक्तगण की ओर से धारा 14—ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत दोनों जमानत अपील अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), टोंक द्वारा आपराधिक विविध

प्रकरण संख्या 94/2024 तथा सी.आई.एस. नम्बर 19/2025 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 10.02.2025 तथा 20.03.2025 से व्यथित होकर पेश की गई हैं, जिनके तहत पुलिस थाना-कोतवाली, टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-252/2024 में अपीलार्थी-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. संहिता खारिज किये गये।

चूंकि दोनों प्रकरण एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि अपीलार्थी-अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। यह भी निवेदन किया कि आहत रामखिलाडी द्वारा अभियुक्त चन्दू उर्फ दिनेश की अवयस्क बहिन के साथ दुष्कर्म का कृत्य किया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उससे पूर्व उलाहना भी दिया गया था, अतः रंजिशवश मिथ्या आरोपण किया गया। प्रथम जमानत अपील खारिज करते समय आहत रामखिलाडी के बयान प्राथमिकता के आधार पर लेखबद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन वह दुष्कर्म के मामले में फरार है और इस कारण से उसके बयान नहीं हो पा रहे हैं, निकट भविष्य में विचारण की संभावना नहीं है। अभियुक्तगण करीब छः माह से अभिरक्षा में हैं, कोई सारवान पूर्ववर्ती आपराधिक रिकार्ड नहीं हैं अतः अपीलार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

परिवादी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं है, जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रस्तुत जमानत अपीलों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्तगण पर एकराय होकर आहत पर जानलेवा हमला कारित करते हुए प्राणघातक चोटें पहुंचाने का आरोप है।

प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी—अभियुक्तगण 1. चन्दू उर्फ दिनेश पुत्र रामफूल तथा 2. भागचंद पुत्र कैलाश की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत अपील स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 तथा 20.03.2025 अपास्त किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी—अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का बन्ध—पत्र एवं पचास—पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत कर प्रमाणित करवायें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J